

संख्या शिक्षा-एच(प्रौ)(4)3-7/2012-2013-अल्पसंख्यक-भाग-11  
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,  
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171001

अप्रैल-2016

सेवा में

निदेशक सूचना एवं जन सर्मक विभाग,  
हिमाचल प्रदेश शिमला-171002.

23 APR 2016

विषय:-

छात्रवृत्ति आवेदन हेतु प्रैस विज्ञापित जारी करने बारे।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्रौ मैट्रिक केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए विज्ञापन में प्रकाशन हेतु सामग्री संलग्न है। छात्रवृत्तियों के नाम:-

1. अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
  2. अस्वच्छ व्यवसाय के बच्चों को प्रौ मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन।
- कृपया इसे हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र

प्रकाशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

निदेशक  
150 23 APR 2016

संलग्न: छात्रवृत्ति योजना (दो)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला-171004 हमीरपुर तथा धर्मशाला से निवेदन है कि उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं का आकाशवाणी से प्रचार एवं प्रसारण करने की कृपा करें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र शिमला-171004 से निवेदन है कि उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रसारण करने की कृपा करें।
3. श्री नसीम निदान, अध्यक्ष अखिल भारतीय मुस्लिम कल्याण समुदाय, 766/4 घुनुघाट, नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Ends as per EDN-OCAT/Dele-Minority  
Scholarship  
Office, of the Dy. Director Ele. Education,  
DISH Una, CH.P.)  
Photocopy of the above is being sent

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा  
निदेशालय हिमाचल

to all Principal's of GSSS, all Headmaster's of JHS & All BEES in  
Una DISH for further n/a please.

Dy. Director Ele. Education  
(Una, DISH Una CH.P.)

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश

2. अस्वच्छ व्यवसाय के बच्चों को प्री0 मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को केंद्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दरों पर प्री0 मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के माध्यम से आधार नम्बर/बैंक खाता संख्या सहित आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। सम्बन्धित जिला के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा / उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में यह आवेदन दिनांक 30-05-2016 तक पहुंच जाने चाहिए।

योजना	वित्तीय सहायता का वितरण	तदर्थ अनुदान	दिया छात्र (Day Scholar) को छात्रवृत्ति दर
अस्वच्छ व्यवसाय	कक्षा एक से दसवीं तक (अस्वच्छ व्यवसाय) में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	750/- रुपये प्रतिवर्ष/वास्तविकता के आधार पर	110/- रुपये प्रति दस माह के लिए

यह छात्रवृत्ति उन्हीं बच्चों को देय होगी जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत हैं। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला के उप शिक्षा निदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न दूरभाष नम्बर 0177-2656183 व इन योजनाओं के प्रपत्र इस निदेशालय को वेबसाइट [himachal.nic.in/eleedu/form.html](http://himachal.nic.in/eleedu/form.html) पर उपलब्ध है।

*S. S. S.*  
निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)  
हिमाचल प्रदेश।

**प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश**

**1. वर्ष 2016-17 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय प्री0 मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन**

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 8 तक offline और नवी एंव दसवी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के online फार्म भरे जाने हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दरों पर प्री0 मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के माध्यम से आधार नम्बर/बैंक खाता संख्या सहित आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं। सम्बन्धित जिला के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा / उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में यह आवेदन दिनांक 30.05.2016 तक पहुंच जाने चाहिए।

प्र० सं०	वित्तीय सहायता का वितरण	छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दर।	दिया छात्रों को छात्रवृत्ति दर।
1. अल्पसंख्यक	कक्षा पहली से पाचवी तक प्रवेश शुल्क	शून्य	100/-रुपये प्रति मास दस माह के लिए
-यथो-	छठी से दसवी तक प्रवेश शुल्क	500/- रुपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर	500/- रुपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर
-यथो-	छठी से दसवी तक टयूशन शुल्क	350/- रुपये प्रति वर्ष वास्तविकता के आधार पर	350/- रुपये प्रति मासिक वास्तविकता के आधार पर दस माह के लिए
-यथो-	छठी से दसवी रख रखाव निशुल्क	600/- रुपये प्रतिव वास्तविकता के आधार पर	100/-रुपये प्रति मास दस माह के लिए

यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, व जैन) के बच्चों को देय होगी, तथा विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय 1.00/- लाख रुपये (एक लाख) रुपये से अधिक न हो व पिछली उत्तीर्ण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हों तथा 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियों पात्र छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप निम्न दूरभाष नम्बर 0177-2656183 व इन योजनाओं के प्रपत्र इस निदेशालय की वेबसाईट [himachal.nic.in/eleedu/form.html](http://himachal.nic.in/eleedu/form.html) पर उपलब्ध है।

*Suri*

निदेशक शिक्षा (प्रारम्भिक)  
हिमाचल प्रदेश।